FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...त....... सहायक कलक्टर (SDO) बायतु ....मुकाम.......

केशाराम ....बनाम....... तहसीलदार बायतु वगैरा

...स्म मुकदमा....... 88,188 [illegible] .... नं. 04/2020 ....सन.......

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.01.2020	~~प्रार्थी~~/वादी/~~अपीलांट~~ के वकील श्री ....नरपत सिंह.... ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/वाद/~~अपील~~ धारा ....88, 188.... राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~/प्रतिवादी/~~रेस्पोंडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....07/01/2020.... को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
07/01/2020	वादी वकील उपस्थित। ~~प्रार्थी व वि~~ वादी व प्रतिवादी संख्या-2 स्वयं उपस्थित। वादी स्वयं द्वारा उपस्थित होकर शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा उपस्थित होकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में सहमति जाहिर की गई, अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 12/02/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	मेरे ~~सगे~~ भाई केशाराम पुत्र ऊदाराम का नाम गलती से किशनाराम पुत्र ऊदाराम हो गया है उसको सही कर केशाराम किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ती नहीं है। जोगाराम
12/02/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 26/02/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	[illegible] (नरपत [illegible])

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 11:48:24 IST
Reason: SelfAttested

26/02/2020

वादी वकील उपस्थित। वादी वकील बहस सुनी गई वादी दावा का स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया। अन्तिम डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से इस ही दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

प्र सहाय
(पीठा

वादीगण
केशाराम पुत्र उदाराम
जाति–जाट, निवासी–लापता,
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 11:48:24 IST
Reason: SelfAttested

ालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 04 / 2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. केशाराम पुत्र उदाराम जाति–जाट, निवासी–लापला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बायतु 2. जोगाराम पुत्र उदाराम जाति–जाट, निवासी–लापला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री नरपत पूनड़ वकील वादी

–: निर्णय :– दिनांक : 26/02/2020

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि मौजा लापला पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 469 रकबा 50.04 बीघा की आई हुई है। वादी द्वारा उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 10.01.1978 को क्रय कर विक्रय पत्र का पंजियन उप पंजीयक बाड़मेर के कार्यालय में दिनांक 10.01.1978 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 100 के पृष्ठ 139 से 140 पर चस्पा करवाया गया था। वादग्रस्त आराजी वादी द्वारा खरीद किये जाने के बाद विक्रय पत्र के आधार पर वादी के नाम से नामान्तरकरण संख्या 205 दिनांक 29.09.1978 को भरा जाकर स्वीकृत किया गया। वादी को उसके परिवार वाले, रिश्तेदार आदि किशनाराम व केशाराम दोनो नामों से जानते व पुकारते है। किशनाराम वादी का घरेलू नाम है तथा केशाराम वादी का दस्तावेजी नाम है। वादग्रस्त आराजी की जमीन क्रय करते समय विक्रय पत्र में वादी का घरेलू नाम किशनाराम पुत्र उदाराम अंकित हो गया है जबकि वादी के नाम से बने दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार कार्ड आदि में वादी का नाम केशाराम पुत्र उदाराम अंकित है। किशनाराम पुत्र उदाराम व केशाराम पुत्र उदाराम दोनो नामो का वादी एक ही व्यक्ति है तथा राजस्व रेकर्ड में वादी का घरेलू नाम अंकित हो जाने से वादी को कई तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिस पर वादी ने अपना नाम शुद्विकरण हेतु भी आवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार बायतु में सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के आदेश दिये। इसलिये वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम किशनाराम पुत्र उदाराम के स्थान पर केशाराम पुत्र उदाराम दुरस्त करवाने के लिये घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 11:48:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व प्रतिवादी संख्या . वादी का नाम किशनाराम के स्थान पर केशाराम किये जाने से अनापति पेश करने पर वाद के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादी का केशाराम पुत्र उदाराम दुरस्त करने पर पूर्ण सहमति प्रदान की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। वादग्रस्त भूमि के संबंध में पेश किये गये शपथ पत्र व दस्तावेजों पर मनन करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादी अपना नाम किशनाराम के स्थान पर केशाराम घोषित करवाने का अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा लापला पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 469 रकबा 50.04 बीघा में वादी का नाम किशनाराम के स्थान पर केशाराम घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 26/02/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 11:48:24 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. केशाराम पुत्र उदाराम
जाति–जाट, निवासी–लापला,
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बायतु
2. जोगाराम पुत्र उदाराम जाति–जाट,
निवासी–लापला, तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–04 / 2020. **निर्णय दिनांक :–**

वादी की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26/02/2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा लापला पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 469 रकबा 50.04 बीघा में वादी का नाम किशनाराम के स्थान पर केशाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 26/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु सत्यमेव जयते

सहायक (SDO)

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 11:48:24 IST
Reason: SelfAttested